राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः–प.1(1)वित्त/राजस्व/2020 जयपुर, दिनांकः–05.03.2025

आदेश

राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रम में यह ध्यान में आया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा आदेश की पालना में आदिनांक नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। इन अधिकारियों द्वारा सक्षम स्तर से जारी आदेश की पालना नहीं किया जाना राज्यादेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि अत्यन्त गंभीर है।

अतः एत्द द्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अविलम्ब अनुपालना करते हुये समस्त प्रभावित अधिकारीगण स्वंय को कार्यमुक्त मानते हुये नवपदस्थापन पद पर, तत्काल कार्यग्रहण करें एवं कार्यग्रहण प्रतिवेदन जरिए ई–मेल (jsfrevenue@rajasthan.gov.in) प्रेषित करे।

इसे अत्यावश्यक समझते हुये राज्यादेशों की पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(नीलेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनका आगामी माह का वेतन आहरित नही किया जावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव